झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 02 चैत्र, 1943 (श0) / 23 मार्च, 2021 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

अ0सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
276.	अ0सू0–37	श्री बंधु तिर्की	प्रदूषण पर रोक	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	25.02.2021
277.	अ0सू0–85	श्री डुलू महतो	जलापूर्ति योजना पूरा करना	खान एवं भूतत्व	17.03.2021
278.	अ0सू0–47	श्री बंधु तिर्की	पद सृजित करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
279.	अ0सू0–81	श्री समीर कुमार मोहन्ती	शिक्षण संस्थानों का अधिग्रहण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.03.2021
280.	अ0सू0–80	श्री नारायण दास	वेतन का निर्धारण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	13.03.2021
281.	अ0सू0–61	श्री रामचन्द्र सिंह	विद्यालय खोलना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	03.03.2021
282.	अ0सू0–76	श्री प्रदीप यादव	वरीय वेतनमान देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	08.03.2021
283.	अ0सू0–77	श्री सुदिव्य कुमार	अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	12.03.2021
284.	अ0सू0–53	श्री सरयू राय	नियुक्ति करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	03.03.2021
*285.	अ0सू0–84	श्री दीपक बिरुवा	कानूनी कार्रवाई करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.03.2021

*(गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक–1242, दिनांक–14.03.2021 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को स्थानांतरित)

01	02	03	04	05	06
286.	अ0सू0-90	श्री इन्द्रजीत महतो	विस्थापित रैयतों को सुविधा देना	खान एवं भूतत्व	17.03.2021
287.	अ0सू0-88	श्री नवीन जयसवाल	सेवा का समायोजन करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	17.03.2021
288.	अ0सू0-65	श्री प्रदीप यादव	बाघ अभ्यारण्य में लूट पर रोक	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	04.03.2021
289.	अ0सू0-86	डॉ0 लम्बोदर महतो	समिति का गठन	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	17.03.2021
290.	अ0सू0-33	श्री भानु प्रताप शाही	राशि का जनहित में उपयोग	उद्योग	28.02.2021

(उद्योग विभाग के ज्ञापांक-235, दिनांक-03.03.2021 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को स्थानांतरित)
(पुनः योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के ज्ञापांक-26/वि0पे0, दिनांक-03.03.2021 द्वारा उद्योग विभाग को स्थानांतरित)

291.	अ0सू0-83	श्री राजेश कच्छप	विद्यालयों को मान्यता देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.03.2021
292.	अ0सू0-89	श्री राज सिन्हा	वर्ग कक्षा का निर्माण पूर्ण कराना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	17.03.2021

(उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-390, दिनांक-19.03.21 द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को स्थानांतरित)

293.	अ0सू0-49	श्री विनोद कु0 सिंह	साहित्य अकादमी का गठन	पर्यटन,कला-संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	27.02.2021
294.	अ0सू0-82	श्री अमित कुमार यादव	सप्तम वेतनमान का भुगतान	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	15.03.2021
295.	अ0सू0-69	श्री राज सिन्हा	अधिकारियों पर कार्रवाई	खान एवं भूतत्व	04.03.2021
296.	अ0सू0-57	सुश्री अम्बा प्रसाद	नियोजन में आरक्षण	खान एवं भूतत्व	03.03.2021

(खान एवं भूतत्व विभाग का ज्ञापांक-628, दिनांक-05.03.2021 द्वारा उद्योग विभाग में स्थानांतरित)

297.	अ0सू0-28	श्री मनीष जायसवाल	आयोग का गठन	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22.02.2021
298.	अ0सू0-87	श्री दशरथ गागराई	पर्यटक स्थल में विकसित करना	पर्यटन, कला-संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	17.03.2021
299.	अ0सू0-72	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	दण्डनात्मक कार्रवाई करना	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	08.03.2021
300.	अ0सू0-42	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	शिक्षकों की नियुक्ति	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021

कृ0 पृ0 उ0 —

01	02	03	04	05	06
301.	अ0सू0-39	श्री विरंची नारायण	नियमावली का गठन	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.2021
302.	अ0सू0-78	श्री सुदिव्य कुमार	मैदान बनाना	पर्यटन,कला-संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	12.03.2021

राँची
दिनांक-23 मार्च, 2021ई0

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-1509/वि0स0, राँची, दिनांक- 22/03/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/21

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-1509/वि0स0, राँची, दिनांक- 22/03/2021

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/21

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-1509/वि0स0, राँची, दिनांक-22/03/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

22/3/21

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

20/03/2021

श्री बंधु तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–37 की उत्तर सामग्री:–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 2017 में जारी आंकड़ों में कहा गया है कि झारखण्ड में सबसे अधिक मौत कुपोषण एवं गंदगी से होनेवाली बीमारियों के बाद वायु प्रदूषण है ;	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अधीन संचालित कुपोषण नियंत्रण केन्द्र में मात्र 05 वर्ष के अंदर के बच्चों के आंकड़े संधारित किए जाते हैं। अन्य उम्र के कुपोषित जनों के आंकड़े संधारित नहीं होते है।
2– क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के (NAMP) के तहत् झारखण्ड के नौ स्थानों पर हवाओं की मॉनिटरिंग हो रही है, हवा में PM-10 सल्फर डाइऑक्साईड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सर्वाधिक पाया गया है और ग्रीनपीस ने झारखण्ड की शहरों की हवा को प्रदूषित बताया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। NAMP परियोजना के तहत झारखण्ड में 14 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था है। वर्तमान में 13 जगहों पर यह कार्यरत है। वर्ष 2019 एवं 2020 के आँकड़ों के अनुसार PM-10 सभी स्थलों पर मानक गुणवत्ता Moderate है। परिवेशीय वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोन डाइऑक्साइड सामान्यतः मानक के अधीन पाया गया था।
3–क्या यह बात सही है कि दामोदर झारखण्ड की प्रमुख प्रदूषित नदी है, जिसमें रोज 13 करोड़ लीटर औद्योगिक कचरा तथा 6 करोड़ लीटर वाहित मल तथा लारो नदी में लौह खादानों से बड़ी मात्रा में लेड ऑक्साइड बहाया जाता है एवं रांची शहर के कांके डैम में शहर के कुछ भागों का वाहित मल बहा दिया जाता है जिससे जल प्रदूषण बढ़ा है वनों की कटाई से भूमि की उर्वराशक्ति घटी है ;	दामोदर नदी के जल का सभी पारामीटर्स मानक के अधीन पाया जाता है। औद्योगिक इकाईयों द्वारा शून्य बहिःस्राव होने के कारण औद्योगिक कचड़ा दामोदर नदी में नहीं जाता है। मात्र बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो द्वारा शून्य बहिःस्राव के अनुपालन हेतु कार्य किया जा रहा है जिसके कारण औद्योगिक बहिःस्राव आंशिक रूप से दामोदर नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। कारो नदी के नमूना विश्लेषण के अनुसार लेड की मात्रा मानक के अनुरूप पायी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग से प्रतिवेदन के अनुसार रांची नगर निगम के पत्रांक–118 दिनांक–18.03.2021 से प्राप्त सूचना के अनुसार रांची शहर के कांके डैम में रांची नगर निगम क्षेत्र के किसी भी भाग का वाहित मल नहीं बहाया जाता है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रदूषण से होने वाले जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या से बचाव हेतु क्या पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। राँची, हजारीबाग, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज शहर में स्वच्छ वायु कार्य योजना विकसित करने हेतु CEED (Centre for Environment and Energy Development) को कार्य सौंपा गया है।

झारखण्ड सरकार
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–30/2021– 1048 व०प०, राँची, दिनांक– 22/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–361 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-2-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(277)

श्री दुलू महतो, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–85

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि DMFT फण्ड से बाघमारा प्रखण्ड के 18 पंचायत को उपलब्ध कराने वाली मेगा जलापूर्ति योजना की स्वीकृति पूर्व में दी गई थी;	उत्तर स्वीकारात्मक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा DMFT निधि से बाघमारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2-	क्या यह बात सही है, कि स्वीकृति के बाद भी 18 पंचायत को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने वाली यह योजना बंद पड़ी हुई है, इसके कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः बाघमारा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 20 पंचायतों के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। यह योजना COVID-19 के कारण माह फरवरी, 2020 से 9 माह तक बंद थी। पुनः योजना का निर्माण कार्य नवम्बर, 2020 से प्रारंभ किया गया। योजना की भौतिक प्रगति 58% है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 18 पंचायतों के मेगा जलापूर्ति योजना के कार्य को पूरा करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–59/2021 836 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1396 दिनांक–17.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव 22/3/21

278

663
22/03/2021

श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–47

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभाग में संचालित नौ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के विभाग में केवल दो स्थायी शिक्षक (कुड़ुख, नागपुरी भाषा) के ही हैं, जबकि राज्य के 14 कॉलेजों में मात्र 30 स्थायी शिक्षक हैं;</td><td>उच्च, तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 438(अनु0) दिनांक 20.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय संकल्प संख्या 559 दिनांक 08.03.2019 के द्वारा रांची विश्वविद्यालय में 09 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है तथा पूर्व से सृजित 16 पदों पर अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

यह भी अंकित किया गया है कि डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 09 जनजातीय एवं क्षेत्रीय विषयों में पद स्वीकृत हैं एवं शिक्षक कार्यरत हैं, आदि।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य के प्लस–टू विद्यालयों में बिना शिक्षक के ही जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है, राज्य में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं, प्रोजेक्ट हाई स्कूल में भी शिक्षकों के पद सृजित नहीं हैं, जबकि स्कूलों में ही मुण्डारी, संथाली, उराँव, पंचपरगनिया, नागपुरी, कुरमाली व खोरठा की पढ़ाई होती है,</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी +2 विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का पद सृजित नहीं है।

सरकारी उच्च विद्यालयों में पद सृजित हैं एवं पठन–पाठन किया जाता है। माध्यमिक विद्यालयों में राज्य निर्माण के उपरान्त कुल 466 क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है।

<table>
<tr><th>विज्ञापन वर्ष</th><th>अधियाचना</th><th>अनुशंसा</th><th>नियुक्ति</th></tr>
<tr><td>2008</td><td>231</td><td>71</td><td>68</td></tr>
<tr><td>2011</td><td>209</td><td>80</td><td>74</td></tr>
<tr><td>2016–17</td><td>838</td><td>344</td><td>324</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>1278</td><td>495</td><td>466</td></tr>
</table>

इसमें संथाली के 112, हो के 26, बंगला के 120, उड़िया के 13, कुड़ुख के 79, मुंडारी के 46, खड़िया के 02, खोरठा के 23, नागपुरी के 19, कुरमाली के 19 एवं पंचपरगनिया के 07 शिक्षक सम्मिलित हैं।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि नयी शिक्षा नीति के तहत् प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है, राज्य सरकार ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है, पाँच जनजातीय भाषाओं में प्राथमिक कक्षाओं के लिए पुस्तकों की छपाई भी शुरू कर दी गई है;</td><td>स्वीकारात्मक।

राज्य सरकार के द्वारा कक्षा–1 एवं 2 के लिये हो, खड़िया, मुंडारी, कुड़ुख एवं संथाली भाषा की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण वर्ष 2016–17 से ही किया जा रहा है, जबकि कक्षा–3 से 5 की संथाली भाषा की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण वर्ष 2019–20 से किया जा रहा है, आदि।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों में संचालित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों का पद सृजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 3 में उत्तर सन्निहित है।</td></tr>
</table>

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–35 / 2021 663 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

229

657
22/03/2021

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–81

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तथा आदिवासी इलाकों के शैक्षणिक विकास में वित्तरहित शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है,	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्यान्तर्गत सरकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं इंटर महाविद्यालय की संख्या निम्नवत् है :– सरकारी माध्यमिक विद्यालय – 2526 सरकारी 10+2 विद्यालय – 510 मॉडल विद्यालय – 89 कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय – 203 झारखण्ड आवासीय विद्यालय – 59 स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय – 112 स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय – 176 स्थापना अनुमति माध्यमिक विद्यालय – 420 स्थापना अनुमति इंटर महाविद्यालय – 103
2	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित वित्तरहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने हेतु सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है,	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2066 दिनांक 19.03.2020 द्वारा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–2 में आयोग के विचारार्थ सौंपे गये विषयों का उल्लेख है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित संस्थानों के पास आधारभूत संरचना के साथ–साथ संसाधन उपलब्ध है, जिन्हें अधिग्रहण करने से शैक्षणिक विकास को गति मिलेगी तथा खंड–2 में वर्णित शिक्षक व कर्मियों के साथ न्याय होगा,	अस्वीकारात्मक। निजी प्रबंधन में संचालित गैर सरकारी संस्थानों के उन्नयन, बेहतर संगठन एवं विकास के साथ–साथ पठन–पाठन एवं प्रबंध और संचालन व्यवस्था के समुचित विकास के लिये झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 तथा झारखण्ड इंटरमीडियेट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 निर्मित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड–1,2 एवं 3 में वर्णित तथ्यों पर संज्ञान लेकर शैक्षणिक विकास हेतु वित्तरहित शिक्षण संस्थानों को अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–3 में उत्तर सन्निहित है। वस्तुस्थिति यह है कि ये सभी वित्त रहित शिक्षण संस्थान, निजी माध्यमिक विद्यालय/+2 महाविद्यालय हैं, स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों/+2 महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा सुदृढिकरण एवं विकास हेतु झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के आलोक में वार्षिक अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–76 / 2021 657 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (280)
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

583
22.03.21

श्री नारायण दास, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-80

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-6/वि.1-281/2007-1145, दिनांक 18.07.2019 द्वारा वर्ष 1982, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988 तथा अनुकम्पा वर्ष 2012 तक नियुक्त राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ही ग्रेड-1 दिया गया है परन्तु ग्रेड-1 वेतन का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्रेड-1 में 12 वर्षों तक संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात इस संकल्प से आच्छादित शिक्षकों को संबंधित जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा ग्रेड-2 में प्रोन्नति दे दी गई है परन्तु ग्रेड-2 के वेतन का भी निर्धारण किसी भी जिलों में आजतक नहीं हुआ है;	वस्तुस्थिति यह है कि राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के प्रावधानों के आलोक में पूर्व में ही सभी शिक्षकों को ग्रेड-2 में प्रोन्नति दे दी गई थी। संकल्प संख्या-1145, दिनांक 18.07.2019 के प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है, जिसके संबंध में जिला शिक्षा स्थापना समिति को निर्णय लेना है।
3.	क्या यह बात सही है कि वेतन निर्धारण के संबंध में कुछ जिलों से उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मार्गदर्शन की मांग भी शिक्षा निदेशालय से की गई है जो कि संबंधित जिलों को अभी तक अप्राप्त है;	वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प संख्या-3027, दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या-1145, दिनांक 18.07.2019 के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड-1 की वरीयता प्रदान की गई है, जिसके आलोक में निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा स्थापना समिति है। विभिन्न नियुक्ति वर्षों में प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-1 की आपसी वरीयता निर्धारित करने तथा शिक्षकों के विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस करने हेतु निदेशालीय पत्रांक-1175, दिनांक 24.09.2020 तथा पत्रांक-1154, दिनांक 21.09.2020 के द्वारा संबंधित पदाधिकारी निदेशित किया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित शिक्षकों के ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 वेतन के निर्धारण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

ज्ञापांक 16/वि.2–53/2021 583 / राँची, दिनांक 22.03.2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1298, दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

281

584
22.03.21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री राम चन्द्र सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–61

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अभियान विद्यालय का सृजन सुदूरवर्ती वैसा क्षेत्र जहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी या उस टोला/ग्राम में अन्य प्राथमिक/मध्य विद्यालय की दूरी अधिक थी की मंशा से किया था, साथ ही उसका भवन का निर्माण भी कराया गया था,	स्वीकारात्मक। भारत सरकार के दिशा–निर्देश के तहत 1 कि.मी. की दूरी में विद्यालय नहीं होने की स्थिति में अभियान विद्यालय खोले जाने का प्रावधान था।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा अधिकांश अभियान विद्यालयों को बंद कर दिया गया या अन्य विद्यालय में सम्मिलित कर दिया गया,	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड में कुल 19297 अभियान विद्यालय खोले गये थे। निर्धारित मापदण्ड 1 कि.मी. से कम की दूरी के विद्यालय तथा वैसे विद्यालय जिनमें छात्र संख्या अत्यधिक कम थी, के आलोक में कुल 3762 अभियान विद्यालय समीपवर्ती विद्यालयों में विलय किये गये थे।
3.	क्या यह बात सही है कि वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में संचालित अभियान विद्यालय के बंद या मर्ज हो जाने से जहाँ से अन्य विद्यालय की दूरी 2–3 कि.मी. है के टोलों/ग्रामों के बच्चे का पठन-पाठन बाधित हो रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वैसे 54 विद्यालय जिनमें छात्र संख्या 20 से कम थी, का विलय किया गया है। विलय किये गये विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समीपवर्ती विद्यालय में नामांकित कराया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पुनः अभियान विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 16/वि.2–55/2021...584.../ राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 858, दिनांक 03.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

Bharshi

282

662
22/03/2021

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–76
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जन शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा के 1985 से कार्यरत कर्मियों का समायोजन 3050–4595 रु0 के वेतनमान पर शिक्षा विभाग में किया गया है;	स्वीकारात्मक। वयस्कों के बीच साक्षरता के प्रचार हेतु एकीकृत बिहार में वर्ष 1978 में जन शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया था, जिसे बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1992 में बन्द एवं समाप्त कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–5036/1992 एवं 4716/1993 वाद में दिये गये न्याय–निर्णय के आलोक में सेवामुक्त कर्मियों को केन्द्र प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998 में समायोजित किया गया, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम/योजना समाप्त करने के निर्णय के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा भी दिनांक 15.05.2001 से इसे समाप्त कर दिया गया। दिनांक 16.05.2001 से अतिरेक हुये शेष कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या 824 दिनांक 30.05.2007 एवं संकल्प संख्या 77 दिनांक 10.01.2008 के आलोक में अतिरेक 167 लिपिक–सह–लेखापाल–टंकक को विभागीय संकल्प संख्या 1736 दिनांक 08.08.2006 से उत्क्रमित +2 माध्यमिक विद्यालयों के लिये वेतनमान रु0 3050–4590 में सृजित लिपिक के पदों के विरुद्ध समायोजित करते हुए विद्यालयों में पदस्थापित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक–232, दिनांक 01.02.2008 के द्वारा तत्कालीन शिक्षा सचिव ने उच्च वर्गीय लिपिक का वेतनमान 4000–6000 सक्षम प्राधिकार द्वारा देने की सहमति दी थी;	आंशिक स्वीकारात्मक। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा डब्ल्यू0पी0(एस0) संख्या 2010/2011 वाद में पारित न्याय निदेश के आलोक में संबंधित मामले की संचिका योजना–सह–वित्त विभाग की सहमति हेतु दिनांक 03.11.2011 को भेजी गयी थी। वित्त विभाग द्वारा संचिका में मंतव्य प्रदान किया गया था कि जन शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा के अतिरेक कर्मियों का मूल रूप से वेतनमान रु0 3050–4590 में सृजित पदों पर नयी नियुक्ति की गयी है, जिन्हें रु0 4000–6000 के उत्क्रमित वेतनमान दिये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त कर्मियों को आज तक वरीय वेतनमान 4000–6000 का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि उनके साथ के समायोजित कर्मियों को दूसरे विभागों में समायोजन काल से ही दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मियों को भी वरीय वेतनमान 4000–6000 देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–70 / 2021 662 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

283

665
22/03/2021

श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–77

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची ने पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान को अनिवार्य मानते हुए अध्ययन सूची में माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय अन्तर्गत मुख्यतः इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषय शामिल किया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई अधियाचना पत्र सं0–12वीं 11–13–2019, 2264/दिनांक 29.08.2019 के कंडिका 3(1) में अंकित किया है कि माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषयों के 25 प्रतिशत अन्तर्गत रिक्त पदों को पहले भरा जाय;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रश्न ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की दिनांक 07.02.2019 को गई अनुशंसा एवं इस पर विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर तदनुसार माध्यमिक स्तर पर *Compulsory* विषय अन्तर्गत रिक्त पदों को पहले भरने हेतु विभागीय पत्रांक–2264 दिनांक 29.08.2019 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को विज्ञापन संख्या–21/2016 के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों के अर्हता प्राप्त शिक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदो के रिक्त पदो के विरुद्ध 75 प्रतिशत (सीधी भर्ती) के गैर अनुशंसित अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से भरने हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु निदेश निर्गत है। अद्यतन तिथि तक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से 25 प्रतिशत के रिक्त पदो के विरुद्ध कोई भी अनुशंसा सूची प्राप्त नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मांगी गई सूचना के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारियों यथा गिरिडीह पत्रांक–590 दिनांक 18.02.20, चतरा पत्रांक–22 दिनांक 08.01.20, रामगढ़ पत्रांक–509 दिनांक 02.03.20, पलामू ने अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधियाचित पद के विरुद्ध नियुक्ति के उपरांत वर्त्तमान समय में कापी सं0 में अर्थशास्त्र के रिक्त पद को स्वीकार करते हुए सूचना उपलब्ध कराया है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विज्ञापन सं0–21/2016 के अधियाचना पत्र सं0–12वीं 11–13–2019, 2264/दिनांक 29.08.2019 में अधियाचित पदों के विरुद्ध अर्थशास्त्र विषय में नियुक्ति करने हेतु	*W.P.(C) No.-1387/2017* सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.09.2020 को पारित न्यायादेश द्वारा राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में विज्ञापन सं.–21/2016 के उस अंश, जिसके द्वारा जिला के स्थानीय निवासी को ही आवेदन करने का

	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा भेज कर छूटे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	प्रावधान था, उसे रद्द कर दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक–1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित 11 जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर भी महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में तत्काल रोक है।

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–74/2021 665 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2021

सरकार के उप सचिव।

284

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-23.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-53 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या-04/वि०-135/2016/516ए दिनांक-02.03.2017 के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यू०जी०सी० के मापदण्डों को पूरा करते हुए घंटी आधारित शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियाँ हुई है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए पुनः घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है और इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित कर रही है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प संख्या-01 दिनांक-01.01.2021 के द्वारा घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को संकल्प संख्या-516 दिनांक-02.03.2017 के आलोक में गठित पैनल की अवधि का विस्तार दिनांक-31.03.2021 तक किया गया है एवं तबतक नये पैनल का गठन करने का निदेश दिया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP(S) No.-548/2021 के आलोक में अगली सुनवाई तक आगे कार्रवाई करने पर रोक लगाया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में झारखण्ड उच्च न्यायालय के WP(S) सं०-675/2018 एवं WP(S) सं०-3842/2020 में निर्देश है कि तदर्थ नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर तदर्थ नियुक्ति नहीं की जा सकती ;	उत्तर कंडिका-2 में सन्निहित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान में कार्यरत घंटी आधारित शिक्षकों को नहीं हटाने और केवल शेष बचे पदों पर ही नियुक्ति करने का विचार रखती है ?	मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-33/2021HTESD 946 / राँची, दिनांक- 21/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-850 दिनांक-03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

21/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

285

581
22.03.21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री दीपक बिरुवा, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–84

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है, कि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा प० सिंहभूम के न्यायालय में अंकित जी०आर० मुकदमा सं०538/2015 द्वारा श्री किशोर प्रसाद, पिता-स्व० रखेश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय सिन्दरी, सदर चाईबासा के विरुद्ध दिनांक- 26.06.2017 और 29.11.2018 को गैर जमानतीय वांरट निर्गत हुआ है,	स्वीकारात्मक। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा याचिका संख्या Cr. M.P. No-241/2017 में दिनांक–22.06.2017 को पारित न्यायादेश में G.R. Case No-538/2015 किशोर प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा के न्यायालय में लंबित मामले में स्थगन आदेश जारी किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 24.09.2019 के आदेश में याचिका संख्या Cr. M.P. No-241/2017 को नियमित सुनवाई हेतु निदेशित है तथा दिनांक 22.06.2017 का अंतरिम आदेश लागू है।
2.	क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद का वारंट जारी होने के बावजूद विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं तथा इसी दौरान सरकारी पद पर रहते हुये आर०एस०एस० का जेनरल के पद पर कार्य कर चूके हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा G.R. Case No-538/2015 किशोर प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। आर0एस0एस0 का जेनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्य करने के संबंध में शिक्षक ने जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचित किया है कि वे आर0एस0एस0 के जेनरल सेक्रेट्री के पद पर कभी नहीं रहे हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि इन सभी घटनाओं की लिखित जानकारी उपायुक्त, जिला शिक्षा अधीक्षक, प० सिंहभूम चाईबासा को विद्यालय प्रशासन द्वारा दी गई है,	वस्तुस्थिति यह है कि श्री किशोर प्रसाद के विरुद्ध दायर केस एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की जानकारी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार न्याय निर्णय के आलोक में खण्ड-1 में वर्णित व्यक्ति को अविलम्ब गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर खंड–1 में निहित है।

(signature) 22/3/2021
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 16/वि.. –50/2021...581...../ राँची, दिनांक ..22../..03../2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 385, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 22/3/2021
सरकार के अवर सचिव

Bharti.sl

(286)

श्री इन्द्रजीत महतो, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–90

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत टासरा रोहड़ाबाँध मौजा में सरकार द्वारा सेल के टासरा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट हेतु कुल 224 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी किया गया। टासरा एवं रोहड़ाबाँध मौजा में 15.17 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर वर्ष 2017 में खनन कार्य शुरू कर बंद कर दिया गया;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2-	क्या यह बात सही है कि आर0एण्ड0आर0 नीति के तहत सेल प्रबंधन द्वारा रैयत विस्थापितों को स्थायी आवास देना था परन्तु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक स्थायी आवास के निर्माण की प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं की गई है;	आर0एण्ड0आर0 नीति के तहत मौजा आसनबनी में रकबा–41 एकड़ भूमि का अर्जन प्रक्रियाधीन है, तत्काल अंतरिम व्यवस्था के तहत 15.17 एकड़ में विस्थापित परिवारों कुल–(105) को M/s PDIL के खाली पड़े कुल–63 आवास में स्थायी रूप से पुर्नवासित किया गया है, जिसमें आधारभूत बुनियादी सुविधायें उपलब्ध है।
3-	क्या यह बात सही है कि आर0एण्ड0आर0 नीति का पालन किये बिना ही सेल प्रबंधन द्वारा पुनः वर्ष 2021 में टासरा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट कार्य प्रारंभ किया जा रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः आर0एण्ड0आर0 नीति का अनुपालन करते हुए सेल प्रबंधन द्वारा टासरा ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट कार्य शुरू करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विस्थापित रैयतों को आर0एण्ड0आर0 नीति के तहत अविलंब घोषित सारी सुविधा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–60 / 2021 833 / एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1401 दिनांक–17.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

287

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

568
22.03.21

श्री नवीन जायसवाल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-88

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सन् 1981 से अनौपचारिक शिक्षा में अनुदेशकों की बहाली की गई थी। बिहार सरकार के पत्रांक-13/मु0 10-06/2010(अंश-1)934, दिनांक-14.04.2016 के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत अनुदेशकों की सेवा को समायोजन कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति केन्द्र प्रायोजित योजना तहत् वर्ष 1981 से 1989 के बीच की गयी थी। भारत सरकार के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त किये जाने के उपरांत दिनांक-16.05.2001 के प्रभाव से झारखण्ड में भी समाप्त किया जा चुका है। बिहार सरकार का नीतिगत निर्णय झारखण्ड राज्य में लागू नहीं होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा 4 महीने के अन्दर अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत सभी सुपरवाईजरों की सेवा का समायोजन करने का आदेश प्राप्त है, परन्तु अनौपचारिक शिक्षा में अनुदेशकों की सेवा का समायोजन करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0नं0-8418/2010 तथा एल0पी0ए0 संख्या-1489/2011 में पारित न्यायादेश के परिपेक्ष्य में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत् आदेश संख्या-783, दिनांक-24.05.2016 द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वाराएल0पी0ए0 संख्या-649/2019 तथा 421/2017 में अनुदेशकों के समायोजन संबंधी दावा को अस्वीकृत कर दिया गया है।
3.	यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत सुपरवाईजरों की सेवा का समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

23/3/2021
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक :-.16/वि02-56/2021.568.... राँची, दिनांक-22.3.21

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0-1399/वि0स0, दिनांक-17.03.2021के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

23/3/2021
सरकार के अवर सचिव।

288

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–65 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2018 अन्तराष्ट्रीय बाघ दिवस पर यह घोषणा की गई है कि देश में बाघों की संख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार {National Tiger Conservation Authority (NTCA)} द्वारा प्रकाशित Status of Tiger in India (2018) के अनुसार देश में वर्ष 2014 तथा 2018 में बाघों की अनुमानित संख्या क्रमशः 2226 (1945–2491) तथा 2967 (2603–3346) थी।
2– क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड के पलामू बाघ अभ्यारण्य (PTR) में बाघों की संख्या शून्य हो गयी है ;	अस्वीकारात्मक। क्रम संख्या–1 में वर्णित रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड राज्य में वर्ष 2014 तथा 2018 में बाघों की अनुमानित संख्या क्रमशः 3 तथा 5 थी। यद्यपि उक्त रिपोर्ट के अनुसार पलामू व्याघ्र आरक्ष में वर्ष 2018–19 में किए गए अनुमान में बाघ अभिलिखित (recorded) नहीं किए जा सके। माह नवम्बर, 2020 में Scat Sample भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजे गए हैं। अंतिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है, जिससे अन्य बाघों की उपस्थिति संपुष्ट हो पाएगी।
3–क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में बाघों के संरक्षण के नाम पर लगातार प्रतिवर्ष अरबों रूपये की लूट हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। व्याघ्र संरक्षण योजना में अन्य वन्यप्राणियों तथा पर्यावास की सुरक्षा, संवर्द्धन आदि कार्य भी सन्निहित होते हैं।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस लूट पर रोक एवं बाघ पुनः PTR में आये इस हेतु कोई ठोस प्रयास करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के अनुसार बाघों के प्रजनन एवं विकास के लिए व्यवधान मुक्त क्षेत्र का होना अत्यावश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–45/2021–1045 व0प0, राँची, दिनांक–22/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–967 दिनांक–04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

289

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–86 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि राज्य के रामगढ़ एवं बोकारो जिले के वन क्षेत्रों के ग्रामीणों के द्वारा 1980 से वन सुरक्षा समिति गठित कर वन्य जीव एवं वनों का संरक्षण किया जा रहा था। जिसके कारण 1990 में वन विभाग के द्वारा संकल्प जारी कर वन क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ मिलकर ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति गठित की गई थी। जिसमें समितियों को वनोपज का 60% की हिस्सेदारी तथा शेष राशि राजकीय कोष में जमा करने का प्रावधान किया गया था। राज्य गठन के बाद संकल्प में संशोधन कर ग्रामीणों को वन उपज का 90 प्रतिशत देने का प्रावधान किया गया ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3658 व0प0, दिनांक–27.09.2001 के अनुसार वन पदार्थों के विपणन से प्राप्त शुद्ध लाभ का 90% लाभांश वन समिति को हस्तान्तरित करने का प्रावधान किया गया है।
2– क्या यह बात सही है कि 40 वर्षो से वनों का रोपण एवं संरक्षण समितियों के सहयोग से किया गया लेकिन वर्तमान में विभाग के द्वारा वनरोपण एवं संरक्षण में किसी प्रकार का सहयोग नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण विभाग द्वारा वन रोपण के बावजूद वनों का उचित देखभाल नहीं होने के कारण विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है और वन उजड़ रहे है ;	अस्वीकारात्मक। वन विभाग के द्वारा वनरोपण कार्य, मानव–पशु द्वन्द, वन अग्नि के रोकथाम, जल संरचनाओं का निर्माण, वनों की सुरक्षा इत्यादि कार्य स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सहयोग से सम्पादित किये जाते हैं।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्व की भांति ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों का गठन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3658 व0प0, दिनांक–27.09.2001 के प्रावधानानुसार वन समितियों का गठन किया गया है। वर्तमान मे राज्य में कुल 10982 संयुक्त वन प्रबंधन एवं संरक्षण तथा इको विकास समिति का गठन किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–65/2021– 1042 व0प0, राँची, दिनांक–22/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1397 दिनांक–17.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

290

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2021 / 23.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–33

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार के सभी विभाग में सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के क्रमादेश में वर्णित शर्त के अनुसार आपूर्ति तथा कार्य संपादन में विलंब होने से विपत्र मे से विलंब शुल्क (Late Supply Fine, Delayed Supply Liquidate damage charges or other terms) अधिकतम 10 पतिशत की कटौती क्रेता विभाग के द्वारा किया जाता;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विलंब शुल्क अधिकतम 10 प्रतिशत या पार्ट उसका विपत्र से काटने के बाद विभाग के पास राशि जमा रहता है, तथा इस जमा राशि की पैसे की कोई न्यूनतम या अधिकतम अवधि विभाग के पास रखने का वित्त नियमावली Contact Act में प्रावधान नहीं है;	अस्वीकारात्मक। कटौती की गयी राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित राशि की पैसा आपूर्तिकर्त्ता के अनुरोध अथवा विभागीय लेखा निरीक्षण ऑडिट के समय विचार विमर्श करके उद्योग Contractor सर्विस प्रोभाइडर की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु विपत्र से कटौती किये राशि की पैसा को वापस करने के लिए निमयमावली नहीं है;	अस्वीकारात्मक। विलंब के कारण से विभाग संतुष्ट होने पर संवेदक की अवधि विस्तार देकर राशि वापस कर दी जाती है अन्यथा राशि राज्य कोषागार में जमा रहता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कटौती की राशि को सरकार एक निर्धारित अवधि के बाद राज्य जनहीत में उपयोग करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथोक्त।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01 / विधानसभा–03–07 / 2021 258 रांची, दिनांक–06/03/2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–254 दिनांक–24.02.2021 एवं ज्ञापांक–683 दिनांक–28.02.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.2021

सरकार के अवर सचिव

291

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

571
22·3·21

श्री राजेश कच्छप, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-83

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 38 राज्य में लागू है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल लगभग 4000 छोटे एवं बड़े गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय का संचालन पिछले कई वर्षों से होते आ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु दिए गये आवेदन को जमीन कम बताकर अस्वीकृत/लंबित रखा जा रहा है जबकि अधिनियम में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी, जिसमें कोई छेड़-छाड़ किया गया है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2019 जो अधिसूचना संख्या-629, दिनांक 25.04.2019 द्वारा निर्गत है, के कंडिका-4 (i) (क) (ख) (ग) (घ) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि- (i) भूमि अनिवार्य रूप से विद्यालय के नाम से निबंधित हो । (ii) निबंधित सेलडीड की अनुपलब्धता की स्थिति में कम से कम 30 वर्षों का निबंधित लीज हो (iii) मध्य विद्यालय की स्थिति में 0.5 एकड़ शहरी एवं 1.00 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र में भूमि उपलब्ध हो। (iv) प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में 40 डिसमिल शहरी क्षेत्र में तथा 60 डिसमिल ग्रामीण क्षेत्र में भूमि उपलब्ध हो।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जमीन की बाध्यता समाप्त करते हुए गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय नियमावली के आलोक में गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों से प्राप्त आवेदन पर जाँचोपरांत मान्यता प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 16/वि.2-54/2021 571 / राँची, दिनांक 22/3/2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1318, दिनांक 15.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अवर सचिव

292

664
23/03/2021

श्री राज सिन्हा, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-89

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में राज्य परियोजना निदेशक, झा०मा० शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (*RMSA*) के अन्तर्गत धनबाद जिले के 42 उच्च विद्यालयों में 135 अतिरिक्त वर्ग कक्ष (*ACR*) के निर्माण हेतु राशि निर्गत किया गया था; धनबाद जिला *RMSA* के द्वारा उक्त राशि का 50% उन विद्यालयों को निर्गत किया जाता है |;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जनवरी 2020 तक जिले के 17 उच्च विद्यालयों में 52 *ACR* का निर्माण पूर्ण हो चुका था एवं उन्हें सम्पूर्ण प्राक्कलित राशि निर्गत राशि किया जा चुका था, 8 उच्च विद्यालयों में निर्गत 50% राशि से 36 *ACR* का कार्य प्रगति पर था (*Lintel* या उससे ऊपर) एवं शेष 17 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ था;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के पत्रांक 682 दिनांक 20.03.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार धनबाद जिला के 17 उच्च विद्यालयों में 52 *ACR* पूर्ण हो चुका है। जनवरी, 2020 में 08 उच्च विद्यालयों में 35 *ACR* निर्माण का कार्य प्रगति पर था तथा 17 विद्यालयों में भूमि के अभाव में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था।
3	क्या यह बात सही है कि जिन 17 विद्यालयों में निर्माण कार्य हो रहा था, उनका शेष 50% राशि जनवरी, 2020 में झा० राज्य शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा राशि वापस मंगवा लिया गया, जिस कारण शेष 50% राशि के अभाव में अर्द्धनिर्मित *ACR* खड़ा है तथा लगभग डेढ़ वर्षों से निर्माण कार्य रुक गया है, जबकि जिन 17 विद्यालयों में *ACR* निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ, वहाँ से अगस्त, 2020 तक 50% राशि वापस नहीं मांगा गया;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद जिला के जिन 17 उच्च विद्यालयों में भूमि के अभाव में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, उन विद्यालयों में पड़े 50% की राशि व्यय नहीं होने के कारण विद्यालय प्रबंध समिति के खाते से वापस ले ली गई है। 8 उच्च विद्यालय जहां ACR का निर्माण का कार्य निर्माणाधीन था, में संबंधित विद्यालयों को राशि उपलब्ध कराते हुए 4 विद्यालयों – 1) SCD उच्च विद्यालय, चिरकुंडा (2) उच्च विद्यालय, पुटकी (3) TAP उच्च विद्यालय, तोपचांची तथा (4) उच्च विद्यालय बागसुगमा में ACR निर्माण हेतु शेष 50% की राशि उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। 4 विद्यालयों में से 2 विद्यालय (1) KVR उच्च विद्यालय, महुदा तथा (2) उच्च विद्यालय, कुमारधूबी में ACR निर्माण हेतु शेष 50% की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा निर्माण कार्य फिनीसिंग स्तर पर है। शेष 2 विद्यालय (1) उच्च विद्यालय, धनबाद तथा (2) बालिका उच्च विद्यालय, रेलवे भागा में ACR का निर्माण का कार्य निर्माणाधीन है। उच्च विद्यालय, धनबाद तथा बालिका उच्च विद्यालय, रेलवे भागा में निर्माण कार्य के शेष 50% की राशि राज्य स्तर से उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अर्द्धनिर्मित *ACR* का निर्माण पूर्ण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–3 में उत्तर सन्निहित है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–79/2021 664 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

293

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–23.03.2021 को पृच्छित अल्प सूचित प्रश्न संख्या – 49 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री विनोद कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भाषा एवं साहित्य, संस्कृति के संवर्धन व संरक्षण में साहित्य अकादमी सहायक साबित होगी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड में अब तक झारखण्ड साहित्य अकादमी का गठन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में सांस्कृतिक कार्य निदेशालय (पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग) झारखण्ड, राँची अंतर्गत साहित्य अकादमी का गठन नहीं किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड साहित्य अकादमी की गठन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि– क) विभागीय संकल्प संख्या–249, दिनांक–21.08.17 द्वारा राज्य के 09 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं सांस्कृतिक पुनरूत्थान केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। ख) इस विभाग के अधिसूचना सं०–191, दिनांक–21.18.19 द्वारा झारखण्ड स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को विभिन्न सांस्कृतिक, कला के साथ–साथ साहित्य के प्रोत्साहन हेतु अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में सभी संबंधित संस्थाओं एवं महानुभव से शोध एवं मंतव्य प्राप्त करते हुए आवश्यकता का आकलन कर राज्य में साहित्य अकादमी के गठन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्या०/वि०स०–56/2021 614 / राँची, दिनांक 18.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–636/वि०स०, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

294

श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-23.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० - 82 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं सभी महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से सप्तम वेतनमान का भुगतान एवं A.C.P./M.A.C.P. का लाभ नहीं दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड-1 का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों को दिनांक-01.01.2016 से सप्तम वेतनमान एवं A.C.P./M.A.C.P. भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकेतर कर्मियों को ACP/MACP का लाभ एवं दिनांक-01.01.2016 से सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-42/2021HTESD 449 रांची, दिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1317 दिनांक-15.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/21

(सुरेश चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

(295)

श्री राज सिन्हा, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–69

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में लौह अयस्क का पर्याप्त भंडार है और लौह अयस्क के खनन में केन्द्र सरकार के माइन्स एण्ड मिनरलस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट का अनुसरण किया जाता है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2-	क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क के खनन के लिए 2000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये ऑक्शन होना है, वर्तमान में कई खदानों में खनन जारी है, और अधिकांश अब भी बन्द पड़े है,	(i) भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा अधिसूचित MMDR Acts 2015 (Amendment) के प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के अधिकांश लौह अयस्क के Non-captive Mines 31.03.2020 को समाप्त हो चुके है। वर्त्तमान में मात्र SAIL एवं TISCO धारित Iron ore Captive Mines में खनन जारी है। जो खनन पट्टा क्षेत्र 31.03. 2020 को परिसमाप्त हो गये हैं वे सभी वन भूमि से अच्छादित है। इन क्षेत्रों में Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 में निर्धारित अन्वेषण के मापदण्डों के अनुरूप नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक तैयार करने हेतु अन्वेषण का कार्य GSI, MECL तथा भूतत्व निदेशालय के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वेधन कार्य हेतु आवश्यक वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने पर कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भूतात्विक अन्वेषण सम्पादित किये जाने के उपरांत नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक की नीलामी की जा सकेगी। खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Mineral (Auction) Rules, 2015 के द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति हेतु नीलामी की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। (ii) MMDR Act में 2015 के संशोधन के पश्चात The Mineral (Evidence of Content) Rules एवं The Mineral (Auction) Rules के अंतर्गत ई0–नीलामी का प्रावधान है।
3-	क्या यह बात सही है, कि लौह अयस्कों का खनन कार्य सालभर से बंद रहने के कारण राज्य को हजारों करोड़ के राजस्व की क्षति हो चुकी है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (फरवरी, 2021 तक) कुल राशि 82078.15 लाख रु0 का लौह अयस्क से संग्रहण हुआ है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लौह अयस्क खदानों में खनन का कार्य तुरन्त शुरू किये जाने और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(अ0सू0)–49/2021 834 /एम0, राँची, दिनांक– 22/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–968 दिनांक–04.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(296)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–57

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा बड़ी एवं छोटी इकाइयों की स्थापना की जा रही है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संबंधित प्रतिष्ठानों एवं कल कारखानों के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहित की जाती है, जिससे भारी मात्रा में कृषक विस्थापित एवं बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके जीविकोपार्जन के लिए कोई नीति निर्धारण नहीं की जा रही है, फलतः क्षेत्र में ज्वलंत समस्याएँ उत्पन्न हो रही है?	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य गठन से अब तक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु लगभग 400 एकड़ रैयती भूमि का अर्जन 177 रैयतो से किया गया है। उक्त भूमि को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु आवंटित किया गया है। औद्योगिक इकाईयों के स्थापित होने से उस क्षेत्र में निवेश एवं स्थानीय लोगों को रोजगार का सृजन होगा। वर्ष 2016 के उपरान्त सिर्फ सरकारी अनुपयोगी/बंजर/रिक्त भूमि को प्राधिकार को औद्योगिक विकास हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी भी कृषक को विस्थापित नहीं होना पड़ा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु अधिग्रहित क्षेत्र में की जानेवाली नियोजन में 90 प्रतिशत स्थानीय, विस्थापित, प्रभावित एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए आरक्षित करने का विचार करती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु अधिग्रहित क्षेत्र में की जानेवाली नियोजन में स्थानीय, विस्थापित, प्रभावित एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए आरक्षित करने संबंधित नीति पर विचार उच्च स्तरीय स्तर से की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक– 323 राँची, दिनांक:– 19.03.2021

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–865 दिनांक–03.03.2021 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.03.2021

सरकार के अवर सचिव

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-23.03.2021 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-28 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अबतक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन नहीं हुई है, जबकि बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा सहित कई अन्य राज्यों में उक्त आयोग संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित आयोग के गठन नहीं होने के कारण राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति आदि के कार्यों की जिम्मेवारी राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जहाँ राज्य में अबतक 16 (सोलह) सिविल सेवा के परीक्षाओं का आयोजन करना था, वहाँ सरकार के उदासीनता के कारण मात्र 06 (छ:) परीक्षा ही ली जा सकी है, जिसका सबसे अधिक नुकसान राज्य के बेरोजगार युवाओं को हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित व जनहित में राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), 2000 की धारा-57 एवं 58 के तहत् झारखण्ड लोक सेवा आयोग सक्षम प्राधिकार है। आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है। राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का कोई निर्णय नहीं है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHEsec1/बजट सत्र 2021-4/2021/HTESD 454 रांची, दिनांक- 21/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-138 दिनांक-22.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(298)

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं० अ०सू०–87 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि खरसांवा स्थित शहीद पार्क को जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है?	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि शहीद पार्क खरसांवा एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका स्वामित्व वन विभाग के पास है?	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शहीद पार्क खरसांवा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक,नहीं तो क्यों?	3.	यह स्थल श्रेणी 'C' के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। इस प्रकार के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति को अनाबद्ध राशि दी जाती है। विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति सरायकेला–खरसावां को रू० 3.00 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे सरायकेला–खरसावां जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल पर आवश्यक पर्यटकीय विकास कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति सरायकेला–खरसावां के निर्णय व वन अनापत्ति प्राप्त होने तथा उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/66/2021 640 /राँची, दिनांक 22-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1398/वि०स०, दिनांक–17/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अपर सचिव

जितेन्द्र

Jharkhand Tourism

299

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2021 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–72 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि रामगढ़ जिलान्तर्गत माण्डू प्रखण्ड के बसंतपुर एवं इसके इर्द–गिर्द कई औद्योगिक प्रतिष्ठान संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है, कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाशरियों से निस्कासित धूल–कण सहित गन्दे जल को सीधे दामोदर नदी में बहाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है एवं मानव एवं पशु पक्षी सभी प्रभावित हो रहे है ;	अस्वीकारात्मक। औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं वाशरियों में Effluent Treatment Plant स्थापित है। जिससे गंदे जल को उपचारित कर पुनः व्यवहार में लाया जाता है। पशुपालन निदेशालय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से हो रहे जल प्रदूषण के माध्यम से पशु–पक्षी पर उसके दुष्प्रभाव से संबंधित कोई अधिकृत सूचना नहीं है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से प्रतिदित किया है कि जल प्रदूषण के तहत Enteric Fever के फलस्वरूप 2019 में 200 एवं 2020 में 150 patient का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सदर अस्पताल, रामगढ़ में किया गया है।
3–क्या यह बात सही है, कि विधान सभा की प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्ष, 2017 में स्थलीय जाँच कर संबंधित विभाग को इस पर नियंत्रण करने एवं दोषी प्रतिष्ठान संचालकों को दण्डित करने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं की गई ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्ष 2017 में स्थलीय जाँच किया गया था। इसके आलोक में इकाईयों को प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निदेश दिया गया था। इकाईयों द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय किये गये हैं।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा की जा रही विधि विरूद्व कार्यो के आलोक में तथा लापरवाह प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के संबंधित जिला एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों पर दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–48 / 2021– 1049 व0प0, राँची, दिनांक– 22.03.2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1073 दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22-3-21

(संतोष कुमार चौबे)

सरकार के अवर सचिव

300

659
22/03/2021

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–42

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर WP(PIL)-3547/2016 वाद में न्यायादेश पारित होने के बावजूद राज्य के (+2) विद्यालयों में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, कम्प्यूटर साईंस जैसे अति महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 176 स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय एवं 103 स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय संचालित है, जिनमें राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों का पठन–पाठन किया जाता है। अंगीभूत महाविद्यालयों में संचालित इंटर कक्षाओं में भी इन विषयों का पठन–पाठन किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्णित विषय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण वर्णित विषयों की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्र नामांकन के समय वर्णित विषय चुनने से वंचित रह जाते हैं;	गैर सरकारी स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों, स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र उक्त विषयों का चयन कर अध्ययन करते हैं। राज्य के सरकारी +2 विद्यालयों में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र आदि विषयों का पद सृजन नहीं है, फलस्वरूप इन विषयों का पठन–पाठन नहीं किया जाता है। व्यावसायिक +2 शिक्षा से आच्छादित कई +2 उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर की पढ़ाई की जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि छात्र यदि वर्णित विषय चुन लेते हैं, तो वर्णित विषय के शिक्षक नहीं होने के कारण अपने स्तर से पढ़ कर परीक्षा देते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विषय की पढ़ाई इन्टरमिडिएट में कराने हेतु छात्रों के हित में शिक्षकों को नियुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	राज्य के सरकारी +2 विद्यालयों में वर्णित विषयों का पद सृजन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(PIL) 3547/2016, अजय कुमार चौधरी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–29.06.2018 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसमें इस संबंध में गठित विभागीय समिति द्वारा संबंधित वादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अनुशंसा समर्पित करनी है। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश पारित है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित वादी श्री अजय कुमार चौधरी को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के संबंध में पत्रांक 1523 दिनांक 22.09.2020, स्मार पत्रांक 1609 दिनांक 01.10.2020, 1728 दिनांक 22.10.2020 एवं 74 दिनांक 18.01.2021 द्वारा सूचित किया गया है, परन्तु वे निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नही हुए हैं। न्यायादेश के अनुपालन में पुनः वादी को सूचित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

22/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–26 / 2021 659 राँची, दिनांक 22/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

301

569
22.3.21

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री बिरंची नारायण, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-39

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री निखिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में झारखण्ड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत् अनुबंध पर पारा शिक्षक कार्यरत है.	अस्वीकारात्मक। पारा शिक्षक का चयन ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान वित्तीय वर्ष 2018-19 से संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 1 वर्ष में भी सरकार ने अब तक उक्त पारा शिक्षकों हेतु सेवाशर्त नियमावली का गठन नहीं किया है और न ही इन पारा शिक्षकों के लिए अब तक पद ही सृजित किए गए है.	पारा शिक्षकों के विभिन्न मांगों पर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय कमिटि का गठन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापांक 15 दिनांक 03.01.2019 द्वारा किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा पारा शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन पर महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा परामर्शित प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तरीय समिति के निर्णयोपरांत इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3.	क्या यह बात सही है कि कई बार सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री ने भी राज्य के पारा शिक्षकों के सम्मानजनक सेवा शर्तों का निर्धारण करने की कार्रवाई करने का वादा किया है और पारा शिक्षकों को नियमित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का वादा किया थाy लेकिन अब तक झारखण्ड के पारा शिक्षकों हेतु पदों का सृजन करते हुए इनके लिए सेवा-शर्त नियमावली का गठन नहीं हो सका है.	उत्तर खण्ड-2 में निहित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों के हित में यथाशीघ्र सेवा-शर्त नियमावली का गठन करते हुए उनके लिए पद सृजित करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर खण्ड-2 में निहित है।

22/3/2021
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–20/2021 569 / राँची, दिनांक 22/3/2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 385, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(302)

श्री सुदिव्य कुमार, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक– 23.03.2021 को पूछित अल्प सूचित प्रश्न संख्या – 78 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री सुदिव्य कुमार, सदस्य विधान सभा	श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला सहित पूरे राज्य में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए जिले स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन करने हेतु मैदान नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। गिरिडीह जिलान्तर्गत विभाग द्वारा कुल 10 स्टेडियम स्वीकृत एवं पूर्ण है। साथ ही सभी प्रखण्डों के पंचायतों में उपलब्ध एवं उपयोगी खेल मैदानों के उन्नयन हेतु पंचायत स्तरीय खेल मैदान उन्नयन योजना संचालित है तथा इस निमित्त उपायुक्त, गिरिडीह को भी राशि उपलब्ध करायी गई है।
2	क्या यह बात सही है, कि फुटबॉल खेल के मैदान नहीं होने के कारण फुटबॉल खेल के प्रतिभावन खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल नहीं खेल पा रहे है;	अस्वीकारात्मक। उत्तर कंडिका–1 में निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह सहित सभी जिले में फुटबॉल मैदान बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–63/2021 646 / राँची, दिनांक 22.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1250/वि०स०, दिनांक–12.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/3/2021

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।